दशमोत्तर छात्रवृत्ति/अतिमहत्वपूर्ण

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

1. कुल सचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ।
2. कुल सचिव, छत्रपति साहू जी महराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. कुल सचिव, डा0 राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. कुल सचिव, बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. कुल सचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. कुल सचिव, डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. कुल सचिव, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ।
8. कुल सचिव, बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
9. कुल सचिव, इन्ट्रीगल विश्वविद्यालय, लखनऊ।
10. कुल सचिव, एमिटी विश्वविद्यालय, लखनऊ।
11. कुल सचिव, भातखण्डे म्यूजिक इंस्टीट्यूट, लखनऊ।
12. कुल सचिव, महर्षि यूनिर्वसिटि ऑफ इंफारमेशन टेक्नो0, लखनऊ।
13. कुल सचिव, संजय गाँधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस, लखनऊ।
14. निदेशक/प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
15. समस्त निदेशक/प्राचार्य, मेडिकल/इंजीनियरिंग/प्रबन्धन/पैरामेडिकल/व्यवसायिक संस्थान,लखनऊ।

पत्रांक : C-3408 /स0क0/दमो0छात्र0/2017–18 दिनांक 26 जुलाई, 2017

विषय :– अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति के स्तर पर छात्रों के पेन्डिंग डाटा को रिजेक्ट/वेरीफाई किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने पत्र सं0 317 दिनांक 13 जुलाई 2017 द्वारा वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ को वर्ष 2016–17 में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के छात्रवृत्ति के पेन्डिंग डाटा को जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से निर्णय एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से रिजेक्ट/वेरीफाई किये जाने हेतु छात्रवृत्ति की वेबसाइट दिनांक 20–07–2017 से 30–07–2017 तक खोलने का अनुरोध किया गया है तथा अद्योहस्ताक्षरी को समयान्तर्गत प्रत्येक छात्र के डाटा पर निर्णय कराते हुए डिजिटल हस्ताक्षर से लाक किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त निर्देश के कम में आप सभी को सूचित किया जाता है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली 2016 के बिन्दु सं0–6(अ) में दिये गये व्यवस्था के अन्तर्गत आनलाइन आवेदन पत्र में कोई डाटा/विवरण/त्रृटिपूर्ण/अपूर्ण/संदिग्ध अंकित करने पर छात्र/छात्राओं के प्रार्थना पत्रों को कदापि प्रेषित न करें। आपके शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत् जिन छात्र/छात्राओं की आनलाइन आवेदन पत्र में सभी प्रविष्टियॉं सही होने के बावजूद उनका छात्रवृत्ति आवेदन पत्र संदिग्धता की श्रेणी में आ गया है, उन सभी अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के निम्न अभिलेखों सहित प्रार्थना पत्र दिनांक 29–07–2017 तक प्रत्येक दशा में अनिवार्य रूप से छात्रों का विवरण सभी संलग्नकों सहित नीचे दिये गये प्रारूप पर अपनी सुस्पष्ट आख्या सहित उपलब्ध कराना सुनिशिचित करें। संलग्नकों का विवरण निम्नवत् है :–

1. छात्र/छात्रा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ।
2. आनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति ।
3. वर्तमान स्टेटस की प्रति ।
4. संदिग्धता से सम्बन्धित साक्ष्य के नेट की प्रति ।

प्रारूप

क्र0 स0	छात्र का रजि0 सं0	छात्र का नाम	पिता/पति का नाम	संदिग्धता का कारण	संदिग्धता निवारण विषयक आख्या

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर एवं मुहर

भवदीय

जिला समाज कल्याण अधिकारी
लखनऊ।

पृष्ठांकन सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पत्र सं0–317 दिनांक 13 जुलाई 2017 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ ।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे अपने अपने शिक्षण संस्थान के छात्र/छात्राओं को अवगत कराने का कष्ट करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
लखनऊ।